भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए जाने हेतु

भाग III, अनुभाग 4

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 04 नवम्बर, 2026

दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2026

(2026 का 09)

संख्या D-27/1/(7)/2026-QoS (E-21037): भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (v) तथा खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एतद्द्वारा दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (2018 का 6) में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2026 (2026 का 09) कहा जाएगा।

 (2) ये विनियम संपूर्ण भारत के क्षेत्र में लागू होंगे।

 (3) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (2018 का 6) का विनियम 35A, जिसे दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026 (2026 का 5) द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे प्राधिकरण राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे।

(पुष्पेंद्र कुमार सिंह)
सचिव (प्रभारी), भादूविप्रा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

टिप्पणी 1: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, अनुभाग 4 में अधिसूचना संख्या 311-04/2017-QoS दिनांक 19 जुलाई, 2018 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया था:

(i) अधिसूचना संख्या 311-04/2017-QoS दिनांक 21 दिसंबर, 2018 (2018 का 10)।

(ii) अधिसूचना संख्या RG-25/(25)/2023-QoS दिनांक 12 फरवरी, 2025 (2025 का 1)।

(iii) अधिसूचना संख्या RG-25/(25)/2023-QoS दिनांक 18 सितंबर, 2026 (2026 का 5)।

अस्वीकरण : यह विनियम मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए विनियम का हिन्दी अनुवाद है। किसी भी विसंगति के मामले में विनियम का अंग्रेजी लिखित संस्करण मान्य होगा।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi